

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख नांव संख्या 19/9/2020-21 (10/12)

दिनांक

आदेश संख्या

अभिलेख

3/9/2020

साथ में प्रमाण विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कारेवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के आदेश-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016 सहसदित- श्री अनुम मुखर्जी निदेशक, भू-आयोजना-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-आयोजना/विधि-110/86/2308/रा0 दिनांक-03.09.1985 एवं सह-सदित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या-014/रा0 दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजकूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्ररम्भ की गयी। जॉच के काम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि

मौजा- खामरुही खाना नं- 125 खाता संख्या- 4 प्लॉट संख्या- 941 रकबा- 1.10 ए० एकड़ की भूमि जो गैरमजकूआ

खास, अनाबाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उरा मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- 1 के पृष्ठ संख्या- 165 पर जमाबंदी रैयत शिवरुपा खन्ना पिता गुरु खन्ना के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 19/9/2020 को उपस्थापित करें।

03/9/20
अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस जारी। निर्धारित तिथि को जमाबंदी
दस्ता/जमाबंदी दस्ता को संसद के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का प्रस्ताव
सम्बंधित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अक्षय मानते हुए इसे बिहार (आयकर) भूमि सुधार अधिनियम
1950 की धारा 4(बी) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुसूचा की जाती है। अक्षय
कार्यवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपस्थापनाओं को भेजे।

19/9/20
अक्षय अधिकारी
मोतिबादपुर

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख संख्या- 194/20 21(VIII) 2020 (अन्तर्गत धारा-4(h)BLR Act, 1950)

सूचना

नाम- सि-वरुण खन्ना
पिता- कुण्ड खन्ना
साठ- समाईडीह

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- समाईडीह थाना नं०-
185 खाता नं०- 4 खेसरा नं०- 341
रकबा- 1.00 ए० से संबंधित आपके नाम से ह० नं०- VIII के पंजी II भाग 1
के पृष्ठ 105 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम
से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- 19/9/2020 को समय-11.00 बजे पूर्वाह्न
में उक्त भूमि का रिटर्न-I भूमि बन्दोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत
जमींदार रसीदों फार्म ड एंव सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एंव अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि
पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना
पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
बाहरी कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज
जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्गत लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकिद जानें।

03/9/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

तिथि :-

स्थान :-